

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-8/ज०सं०(नि०) ग्रा० 08-02/2018/राँची, दिनांक—

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अशर्फी साहु, (ID - J 7787) ने जबकि वे कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री अशर्फी साहु, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री अशर्फी साहु से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़ को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़/श्री अशर्फी साहु, (तत्कालीन कनीय अभियंता) सम्प्रति सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल सं०-02, गोड्डा (सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महागामा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - / राँची, दिनांक-

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़ / श्री अशर्फी साहु, (तत्कालीन कनीय अभियंता) सम्प्रति सहायक अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल सं०-02, गोड्डा (सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर- महागामा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेंगे साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेंगे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3- प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4- आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख / कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०-यथोक्त।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - / राँची, दिनांक-

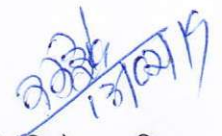
प्रतिलिपि : उप सचिव (प्र०) , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री चन्द्र प्रकाश सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक - 1056 / राँची, दिनांक- 13/02/19

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, पाकुड़ / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव
जल संसाधन विभाग।

